सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक *27*, शुक्रवार, *शाके* 1944-नवम्बर 18, 2022 *Kartika 27, Friday , Saka 1944- November 18, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (बजट) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 18, 2022

एस.ओ.109 :-राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम सं. 8) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास लिए सशक्त समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(iii)	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रभारी शासन सचिव	संयोजक
(iv)	स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(v)	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(vi)	आयोजना विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(vii)	लोक निर्माण विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(viii)	स्वायत्त शासन विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(ix)	महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
(x)	कृषि विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य

[सं. एफ.4(40) वित्त-1(1)/आ.व्य./2022]

राज्यपाल के आदेश से,

रोहित गुप्ता,

शासन सचिव।

FINANCE (BUDGET) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 18, 2022

S.O.109 .-In exercise of the powers conferred by section 7 of the Rajasthan State Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Fund (Planning, Allocation and Utilization

of Financial Resources) Act, 2022, (Act No. 8 of 2022), the State Government hereby constitutes the Empowered Committee for the development of the Scheduled Tribes, which shall consist of the following, namely:-

(i)	Chief Secretary	Chairperson
(ii)	Secretary to the Government in-charge of Finance Department	Member
(iii)	Secretary to the Government in-charge of Tribal Area Development Department	Convener
(iv)	Secretary to the Government in-charge of School Education Department	Member
(v)	Secretary to the Government in-charge of Rural Development and Panchayati Raj Department	Member
(vi)	Secretary to the Government in-charge of Planning Department	Member
(vii)	Secretary to the Government in-charge of Public Works Department	Member
(viii)	Secretary to the Government in-charge of Local Self Government Department	Member
(ix)	Secretary to the Government in-charge of Women and Child Development Department	Member
(x)	Secretary to the Government in-charge of Agriculture Department	Member

[No. F.4(40)FD-1(1)Budget/2022]
By order of the Governor,

ROHIT GUPTA,
SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.